

बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में, बृहस्पतिवार, तिथि १२ दिसम्बर १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

विधान परिषद् से प्राप्त सन्देश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL.

ASSEMBLY SECRETARY: Sir, the following two messages have been received from the Legislative Council :—

- (1) The Bihar Legislative Council at its meeting held on the 11th December 1957, considered and agreed without any recommendation to the Court Fee Stamp (Bihar Amendment) Bill, 1957 which was passed by the Legislative Assembly on the 28th November 1957.
- (2) The Bihar Legislative Council at its meeting held on the 11th December 1957, considered and agreed without any recommendation to the Indian Stamp (Bihar Amendment) Bill, 1957, which was passed by the Legislative Assembly on the 28th November 1957.

बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स, १९५७ में संशोधन।

AMENDMENT TO THE BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION (LIMITATION OF FUNCTIONS) REGULATIONS, 1957.

Shri TRIVIKRAMDEO NARAYAN SINGH: Sir, I beg to move.

That in sub-regulation (11) of Regulation 6 of the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, for the words "Provincial Government" the words "State Government" be substituted.

Sir, this is a technical amendment, and this was discovered while these Regulations were being scrutinised in the meeting of the Subordinate Legislation Committee. I hope the Government will have no difficulty in accepting this amendment.

Shri DIP NARAYAN SINGH: I accept this amendment.

Shri RAMCHARITRA SINGH: Does the words "Provincial Government" not fit in the Constitution.

SPEAKER: Under the Constitution there is no Province now.

Shri RAMCHARITRA SINGH: I want to know your definite decision on the point whether the words "Provincial Government" fits in with the provisions of the Constitution or not.

SPEAKER : I should not give any. Let the Hon'ble Mover first say why he has moved his amendment.

Shri TRIVIKRAMDEO NARAYAN SINGH : Sir, under the Constitution there is nothing like Provincial Government now.

SPEAKER : Article 1(1) of the Constitution says "India, that is Bharat, shall be a Union of States". So there is no Province in India, and hence the amendment.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That in sub-regulation (11) of regulation 6 of the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations 1957, for the words "Provincial Government" the words "State Government" be substituted.

The motion was adopted.

दी०वी०सी० १९५७-५८ के बजेट स्टीमेट पर वादविवाद।

DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATE OF THE DAMODAR VALLEY CORPORATION FOR 1957-58.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That this Assembly do proceed to discuss the Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the year 1957-58.

The motion was adopted.

*श्री एस० के० नार्म—स्पीकर महोदय, इस दामोदर वैली कारपोरेशन के बजट के

सम्बन्ध में, जो १९५७-५८ साल के लिए है और जिसको माननीय श्री दीप नारायण सिंह ने उपस्थित किया है मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूँ। समूचा बजट १७ करोड़ ७ लाख और ७५ हजार रुपये का है जिसमें गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा ३ करोड़ ८५ लाख ६६ हजार रुपया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट का ९ करोड़, २१ लाख ८२ हजार रुपया है और बिहार गवर्नमेन्ट का ४ करोड़ और २७ हजार रुपया है। पहले बजट को देखने से भी हमको पता चलता है कि दामोदर वैली का बजट तीन खास चीजों में विभक्त है : पावर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल। पावर पर गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा ३ करोड़ ८५ लाख ६६ हजार रुपया है और उतना ही वेस्ट बंगाल सरकार का भी हिस्सा है ; बिहार गवर्नमेन्ट का भी हिस्सा ३ करोड़ ८५ लाख ६६ हजार रुपया है। यानी तीनों गवर्नमेन्टों का पावर के लिए बराबर-बराबर कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फ्लड कंट्रोल के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का कोई हिस्सा नहीं है, वेस्ट बंगाल का १ करोड़ ५६ लाख ९१ हजार रुपया है। हमारे लिए इरिगेशन का हिस्सा १४ लाख ६१ हजार रुपया है और वेस्ट बंगाल का ३ करोड़ ७६ लाख २५ हजार है। अगर इसके इतिहास को हम देखने की कोशिश करें तो सन् १९४८ से है और उसका करीब एक चौथाई हिस्सा, यानी २२ परसेन्ट, बिहार को देना पड़ा है।

अब इस बजट में बुनियादी रूप से अदल-बदल होती रहती है। सन् १९५३ में चीफ इन्जीनियर की तन्खाह १० हजार रुपये प्रतिमास थी, सन् १९५४ में यह तन्खाह बढ़कर करीब १२ हजार रुपये प्रति मास हो गयी। अब चीफ इन्जीनियर की जो अमेरिका से कंट्रैक्ट बेसिस पर आये हैं तन्खाह करीब ३० हजार ६४२ रुपये प्रतिमास हो जाती है और इन्कम टैक्स को मिलाकर तो ६३,८५१ रुपया हो जाती है। उनका और उनके साथ चीफ कंस्ट्रक्शन इन्जीनियर दोनों का एअर पैसेज के साथ करीब दो लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो इस तरह इस बजट में तबदीली होती जाती है। कुछ दिन पहले बंगाल की असेम्बली में इस बात की चर्चा चली थी चूंकि दामोदर वैली कारपोरेशन का काम धीरे-धीरे बन्द होता जा रहा है इसलिए अब गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया या बिहार के प्रतिनिधि का कारपोरेशन में रहने का काम नहीं है। एक ही प्रतिनिधि रहे और उसी के मुताबिक ऐक्ट में संशोधन हो। इस कारपोरेशन में एक प्रतिनिधि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का, एक वेस्ट बंगाल का और एक बिहार सरकार का रहता था। कुछ दिन बिहार के प्रतिनिधि हमारे फूलन बाबू थे। उनकी मृत्यु के बाद छोटानागपुर के कमिश्नर श्री सी० के० रमन रहे। आज इतना रुपया देने के बाद यह कहा जाता है कि बिहार के प्रतिनिधि के रहने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते थे कि छोटा नागपुर का कोई प्रतिनिधि उसमें रहे। हमारे मंत्री महोदय इसको साफ करेंगे कि वेस्ट बंगाल के इस नये सुझाव के पीछे क्या रहस्य है। अगर वे चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, बिहार का प्रतिनिधि नहीं रहे और सिर्फ बंगाल का ही रहे तो इसको हम हर्षिज मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

अब आप अगर पावर के हिसाब को देखें तो मैन्यन और बोकारो थर्मल इत्यादि से जो पावर जनरेट होगा वह सब मिलाकर करीब एक अरब साठ करोड़ किलोवाट पैदा होगा और इसमें से केवल १० हजार किलोवाट बिहार को देने की बात है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसको साफ करें। यह एक अजीब-सी बात है कि जहां लाखों और करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा होगी वहां बिहार को केवल १० हजार किलोवाट देंगे। जब दामोदर वैली की स्कीम बन रही थी तो उसका उद्देश्य सबसे पहले फलड कंट्रोल का था और १८ लाख एकड़ जमीन बर्दवान, बांकुरा और हुगली जिलों में ही फलड से बचाने की बात थी। इरिगेशन के मामले में छोटानागपुर वर्गरह को इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। बर्दवान और बांकुरा जिलों में १,५५० मील की नहर है जिनसे पटवन होती है। नैविगेशन से भी बिहार को कोई सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता।

केवल बांकुरा से ८५ मील तक नैवीगेशन होता है। अगर आप इसके समूचे इतिहास को देखेंगे तो मिलेगा कि धीरे-धीरे करके लोगों को घर से बाहर निकाला गया है लेकिन उनको रिहैबिलिटेड करने की पूरी कोशिश नहीं की गई है। तिलैया के लिए जमीन को एक्वीजीशन किया गया, लेकिन उसका पैसा अभी तक न दिया गया, फिर मैन्यन के लिए जमीन एक्वीजीशन किया गया लेकिन उसका पैसा आज तक नहीं दिया गया। मैन्यन डैम से ३,३२३ फेमिलीज डिसप्लेस्ड हुए जिनको अभी तक बसाने का इन्तजाम नहीं हुआ है। अब इस पनचेट डैम से भी २,५४४ फेमिलीज डिसप्लेस्ड होंगे जिनको बसाने के लिए कौन-सा इन्तजाम किया गया है। १९५८ में इसका बांध बंधकर तैयार हो जायगा लेकिन जो समस्या तिलैया बांध के समय आयी, जो समस्या कोनार डैम के वक्त आयी, जो समस्या मैन्यन डैम के बांधने के समय आयी, हम देखते हैं कि वही समस्या इस बांध के बांधने से फिर इस सरकार के सामने आयगी लेकिन इन फेमिलीज को बसाने के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। १९४७ से ही यह समस्या इस सरकार के सामने आती है लेकिन लोगों को रिहैबिलिटेड करने का काम

पहले से ही हाथ में नहीं लिया जाता है। अभी तक बांध के बंधने से लोगों को तकलीफ होती है लेकिन पहले से ही उनकी तकलीफ को दूर करने का उपाय नहीं किया जाता है। वहाँ पर एक-एक करके चार बांध बंध गए लेकिन इनके बंधने से जो ७५ हजार आदमी डिसप्लेस्ड हुए उनको बसाने का उपाय नहीं किया गया। हर आदमी पानी के नीचे चली गयी लेकिन इन आदमियों को उसके बदले क्या मिला? आज से लोगों को कौटेंज इन्डस्ट्रीज कायम करने के लिए बिजली मिलेगी। बिजली से विलेज बोकारो से मले ही जमशेदपुर, कलकत्ता, मोसावनी, गया और पटना को बिजली मिले १,२४० वर्गमील भूमि पानी के नीचे चली गयी और करीब ५० लाख आदमी इससे तैयार होने लगी, तिलैया में बिजली बनने लगी, मंथन में गत २७ सितम्बर से बिजली बनने लगी लेकिन मैं पूछता हूँ वहाँ पर कितने घरों में बिजली गयी है और कौटेंज के लिए तो इन्तजाम हुआ नहीं फिर उनके घरों में बिजली देने और कौटेंज इन्डस्ट्रीज कायम करने का सवाल पीछे उठता है। उनको तो अभी तक रहने के लिए घर नहीं वहाँ के रहनेवालों को रिहैबिलिट कराने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। हर साल दामोदर वैली का बजट पेश होता है, उसपर बहस होती है, हमलोग सरकार नहीं होता है। देश की तो इस तरह के काम से उन्नति होती है लेकिन इसके चलते चित्तरंजन बना तो संथाली लोगों पर मार, मयूराक्षी बना तो संथाली भाई पर मार पड़ी, दामोदर वैली बनी तो संथाली लोगों पर मार, दुर्गापुर स्टील प्लान्ट बँठी तो संथाली कोई चीज कायम होती है तो गरीब संथाली लोगों पर ही मार पड़ती है और उनको तबाह होते हैं और फिर भी उनको बसाने के लिए कोई समुचित इन्तजाम नहीं किया जाता है। दामोदर वैली को बाढ़ के नाम पर किया गया। हम देखते हैं कि गत १०० वर्ष में १६ बार दामोदर नदी में बाढ़ आयी और इस बाढ़ से इसके चलते ७५ हजार फैमिलीज बेघरवार के हो गए। जिस समय पार्लियामेंट में मिनिस्टर श्री गाडगिल साहब ने कहा था कि वहाँ के लोगों को सिचाई, कौटेंज इन्डस्ट्रीज और नौकरी की सुविधा इससे मिलेगी। अब हम सबसे पहले सिचाई को लेते हैं। १९४७ में यह कहा गया कि इससे १ लाख एकड़ जमीन की सिचाई होगी। १९४७-४८ में यह घट कर २० हजार एकड़ हो गयी। उसके बाद यह कहा गया कि १९५२-५३ में यह घट कर २० हजार एकड़ हो गयी। उसके बाद यह कहा गया कि १९५३-५४ में यह घट कर २० हजार एकड़ हो गयी। उसके बाद यह कहा गया कि १२,००० की सिचाई न होगी। इस तरह से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया हमलोगों ने इस दामोदर वैली पर खर्च किया लेकिन बिहार की कुछ भी भूमि की सिचाई इससे न हो सकी।

अब इम्प्लायमेंट के सवाल को लीजिये । ठीक हिसाब तो मैंने वहाँ पर जाकर नहीं लगाया है लेकिन आप वहाँ पर जाकर देखियेगा तो आपको पता चलेगा कि ६० या ७० प्रतिशत से भी ज्यादा वहाँ पर बंगाली हैं । इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों की बहाली भी इस योजना में न हो सकी । वहाँ पर जाकर लोगों की तकलीफ को देखिये तो मालूम होगा कि कुरुक्षेत्र की अभी लड़ाई हो रही है लेकिन फायदा को देखने से कुछ भी फायदा वहाँ के लोगों को न हो रहा है । बिजली तो मिलने का सवाल ही दूर है । अभी घर का ही ठिकाना नहीं तो बिजली कहाँ मिले । १९५४ में मैनशन डैम के इलाके से जब लोगों के घरों में पानी घुस गया तब उनको वहाँ से असिस्टेन्ट रिहैबिलिटेशन अफसर ने हटाया और इस तरह से ह्यूमनटेरियन प्वायन्ट ऑफ भिउ से भी जो उनके लिये काम होना चाहिये वह भी नहीं हो रहा है । बड़ी-बड़ी कम्पनियों को तो वहाँ की बिजली मिल रही है और उनको उससे फायदा हो रहा है लेकिन वहाँ के लोगों को बसाने का काम आज तक नहीं हुआ । उनके तकलीफ करने से सारे देश की भलाई होती है लेकिन उनकी तकलीफ को कोई देखने और दूर करनेवाला नहीं है । डैम बनाते वक्त मनुष्योचित वर्त्ताव भी उनके साथ नहीं किया जाता है और जब उनके घर में पानी घुस जाता है तब उनको घर से निकाला जाता है । उनके रहने के लिये डैम बनने के पहले ही घर का इन्तजाम हो जाना चाहिये था । लेकिन यह भी नहीं हो रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस डी० वी० सी० के बजट पर अपनी राय प्रकट करता हूँ ।

*श्री शत्रुघ्न बेसरा—अध्यक्ष महोदय, हमने डी० वी० सी० के बजट को देखने की

कोशिश की है और उसको देखने से यह पता लगता है कि इस योजना को राष्ट्रहित के ह्याल से किया गया है और इससे राष्ट्र की भलाई हो रही है । लेकिन जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया है क्या उनको राष्ट्र का लोग नहीं समझा जाता है । उनको तो देखने से यही मालूम होता है कि वे इस राष्ट्र के लोग नहीं हैं और न इस राष्ट्र की संपत्ति ही हैं । इसी ढंग पर वहाँ के लोगों के साथ वर्त्ताव किया गया है और अभी तक ऐसा ही वर्त्ताव किया जा रहा है । आज उनको घर से हटाये ३ या ४ वर्ष हो गये लेकिन इस बजट में उनको बसाने की योजना नहीं है । जिस समय डी० वी० सी० का काम चालू हुआ तो वहाँ के लोग अपने घर से नहीं हटे रहे थे लेकिन जब बिहार सरकार की ओर से उनको आवासन मिला कि उनको घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन मिलेगी तब वे लोग अपने घरों से हटे और उनको हटे भी आज ३ या ४ साल हो गये हैं पर अभी तक उनके घर के बारे में कुछ नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में इतने मिनिस्टर हैं उनमें से चार सालों के अन्दर में एक भी मिनिस्टर उस एरिया के लोगों की देखभाल करने के लिए नहीं गए हैं कि वे किस तकलीफ में हैं ।

अध्यक्ष—जब श्री रामचरित्र सिंह मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि हम उस एरिया के लोगों को देखने के लिये गये थे ।

श्री शत्रुघ्न बेसरा—हमारा कहना है कि मैनशन एरिया को देखने के लिये कोई नहीं गये ।

Shri RAM CHARITRA SINGH : Once I went to Maithan and went round the area. I told the people concerned that provision should be made for the displaced persons and I strongly pressed this point with the D. V. C. I said that temporary arrangements should be made immediately and afterwards land should be given to them.

अध्यक्ष—अगर श्री रामचरित्र सिंह ने करेक्ट कर दिया तो और बात साफ हो गयी ।

श्री शत्रुघ्न बेसरा—तो अध्यक्ष महोदय, ठीक है कि उन्होंने करेक्ट कर दिया ।

हमारा कहना है कि उन लोगों के साथ न्याय का बर्ताव नहीं किया जा रहा है ।

अध्यक्ष—मंत्री महोदय तो वहां गये थे । लेकिन आपकी दलील ज्यों की त्यों है ।

आपके कहने का मतलब है कि उन लोगों की जो हालत पहले थी अब भी वैसी ही है ।

श्री शत्रुघ्न बेसरा—मेरे कहने का मतलब यही है कि उन लोगों की हालत मंत्री

महोदय के जाने के बाद भी अच्छी नहीं हुई । और वैसी ही है जैसे पहले थी । अध्यक्ष महोदय, जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्च को देखा जाय तो वह खर्च बढ़ता ही जा रहा है । लेकिन जहां तक पुनर्वास पर खर्च करने का सवाल है उसका खर्च घटता जा रहा है । यह एक अजीब सी बात मालूम पड़ती है । १९५५-५६ का बजट ३७ लाख ३३ हजार की थी । १९५६-५७ का बजट है ३७ लाख ६० हजार और इसका रिवाइज्ड बजट है ३८ लाख २४ हजार । १९५७-५८ का बजट बढ़कर ४० लाख ४० हजार की हो गयी । अब आप देखें कि पुनर्वास पर कितना खर्च हो रहा है । १९५५-५६ में इस पर खर्च हुआ १४ लाख, १९५६-५७ में हुआ १० लाख और इसी वर्ष में इसको रिवाइज्ड करके ७ लाख ५२ हजार कर दिया और १९५७-५८ में इस पर खर्च रखा गया था सिर्फ ५ लाख ३७ हजार रुपये । तो मेरा कहना है कि पुनर्वास पर खर्च दिनोंदिन घटता ही जा रहा है । उन लोगों के बसाने का काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है । उन लोगों के जो पुराने घर थे जो हटा दिए गए उसके बदले में तो सरकार दूसरी जगह टेम्पोररी इन्तजाम करके घर दिया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जमीन के बदले जमीन और काम देने का बन्दोबस्त नहीं किया गया है । चार साल पहले जो उन लोगों की अवस्था थी आज उससे भी बदतर हो गयी है । जमीन के रिक्लेमेशन पर पहले बजट कुल १० लाख रुपये का था, लेकिन आज वह घट कर ५ लाख हो गया है यानी आधा हो गया है । १९५६-५७ में दो हजार एकड़ जमीन को रिक्लेम करने के लिये ४ लाख रुपये रखा गया था । अब आप बतायें कि इतने रुपये जायगा । दो साल में तो आपने सिर्फ ३७ एकड़ जमीन को रिक्लेम किया उस चार लाख रुपये से । अब जब १९५७-५८ में उस रुपये को घटाकर २ लाख कर दिया गया तो जमीन का रिक्लेमेशन भी करीब १८-१९ एकड़ यानी उसकी आधी होगी । इसलिये मैं चाहता हूँ कि रिक्लेमेशन करने के लिये भी रुपये बढ़ाने चाहिये ।

अब मैं रोड्स के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। रोड्स को बनाने के लिये १९५६-५७ में २ लाख ५० हजार रुपये खर्च किये गये थे। जहाँ उन लोगों को बसाया गया है वहाँ पर एप्रोचिंग रोड्स नहीं बनाये गये हैं। कुछ लोगों को जबरदाहा, बागापुरी, बेंजकुरी और रामपुरभेलाही में बसाया गया है। एक जगह पर २० आदमी का घर बना दिया गया है और जितनी जमीन उस घर के चलते श्रीकुपाई हुई है उतनी ही दूर में रोड्स बना दिया गया है। जबरदाहा के नजदीक में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड दो मील की दूरी पर है जिससे रोड से उस गांव का रोड मिला देना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यद्यपि इस काम के लिए २ लाख ५० हजार रुपया है फिर भी उस गांव से कोई एप्रोचिंग रोड नहीं बनाया गया। अगर जिला बोर्ड से मिला कर कोई एप्रोचिंग रोड नहीं बनाया गया तो बरसात के दिनों में जीप तक को जाना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मेरा कहना है कि उस गांव से एप्रोचिंग रोड बनाने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करके उस रोड को बना देना चाहिए।

अब मैं पोस्ट रिक्लेमेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। १९५६-५७ में पोस्ट रिक्लेमेशन के ऊपर १ लाख ५० हजार रुपया खर्चा गया था। इस साल उसको घटाकर सिर्फ ७ हजार रख दिया गया है। इसलिये हमारा कहना है कि यह रकम बहुत ही कम है और इसको बढ़ाना चाहिए। १९५३ में जामतारा के नारायणपुर इलाके में कंट्रेक्टर के जरिये डी० वी० सी० की जमीन रिक्लेम की गयी थी। उस इलाके में सरकार के जो एस० डी० ओ० हैं उनको लोगों ने कहा था कि इस जमीन पर धान नहीं हो सकता है। उस समय वाटर स्कारसिटी नहीं था जो आज है। उनको कहा गया था कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए कि इस पर धान हो सकता है या नहीं मगर चार साल हो गए और इस जमीन को रिक्लेम करने के बाद परती ही पड़ी रही। उस जमीन में खाद और पानी का इन्तजाम कर दिया जाय तो खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। चाहे सरकार की ओर से मोडेल फार्मिंग का बन्दोबस्त हो या नहीं हो लेकिन गांवों के लोगों के साथ जमीन बन्दोबस्त कर दी जाय नहीं तो इस पर जितना खर्च होगा वह सब बेकार हो जायगा। आज जमीन रहते हुए वहाँ के गरीबों को तकलीफ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, बजट में हम देखते हैं कि रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ रुपया रखा गया है लेकिन उनके ग्राम उद्योग धंधे के लिये कोई प्रोविजन नहीं है। अगर इसके लिये कुछ रुपया रखा जाता तो मैं समझता कि लोगों का स्थाल किया जा रहा है। आप जानते हैं कि तीन, चार सालों से वहाँ लोग रिहैबिलिटेशन फाइट में फंसे हुए हैं, उनके पास जमीन भी नहीं है जहाँ खेती करके वह गुजारा कर सके। आप गया, पटना तक बिजली लाने की बात करते हैं लेकिन मैथन डाम से ५-६ मील पर जो लोग बसाये गये हैं उनको बिजली नहीं दे रहे हैं। पहले उन्हें ही बिजली देनी चाहिए ताकि वे हैंडलूम का काम कर सकें और उसके जरिए अपना रोजगार कर सकें। वे बेचारे दिन भर जंगल में रहते हैं और शाम को चावल खरीद कर खाते हैं। जब हमारे नेतागण और सभी लोग चाहते हैं कि इस निर्माण के युग में सभी को काम दिया जाय तो दूसरी तरफ इतने लोग जो बेकार पड़े हुए हैं उनकी ओर पहले ध्यान जाना चाहिये। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उन लोगों को बिजली दी जाय और कोटेंज इंडस्ट्रीज का बंदोबस्त कर दिया जाय।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि वे बेचारे जंगल में पड़े हुए हैं और बीमारी में उनके लिए दवा, इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं है इसलिये मैं चाहूँगा कि रिहैबिलिटेशन

हरिया के अन्दर उनके लिये दवा बगैरह का इन्तजाम होना चाहिये। बहुत से लोग बिना दवा के मर गये हैं और मर रहे हैं। उनके लिए एक छोटा-मोटा दवाखाना होना चाहिये और यह नहीं हो तो वहां जो ब्लौक के डाक्टर हैं उन्हें कहा जाय कि हफ्ते में १-२ दिन के लिये वहां जाकर लोगों को देख लिया करें।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी लोग हैं जिनको आज तक न पैसे मिले हैं और न जमीन मिली है। जामतारा थाने में एक गांव है धवना जहां के लोगों को एक भी पैसे नहीं दिए गए हैं और न उनको जमीन मिली है। वहां के लोगों ने पुनर्वास पदाधिकारी के पास दरखास्तें दीं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां एक भी गाछ नहीं है और उस जमीन को लोग लेना चाहते हैं; लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी दर-खास्त पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाय और उन्हें जमीन दी जाय नहीं तो उनकी अवस्था और भी खराब हो जायगी इसलिए कि उनलोगों को खाने-पीने का भी इन्तजाम नहीं है।

श्री दीप नारायण सिंह—उस गांव का नाम क्या है जहां गाछ नहीं है ?

श्री शत्रुघ्न बेसरा—उस जगह का नाम है धवना जो जामतारा थाने में है। उस

जगह पर बसने के लिए वहां के लोगों ने दरखास्त दी है। लेकिन कई साल हो गये और फंसला नहीं हुआ। देर होने से लोग खुद ही रीक्लेम कर लेते हैं उसके बाद सरकार को मजबूरी हो जाती है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाय।

इसके अलावा एक बात और यह है अध्यक्ष महोदय, कि मुरगटाना गांव के लोग दूसरी जगह जाकर बस गये हैं। वहां पर भी गाछ नहीं है, दो-चार घर लोगों ने बनाया भी है। इस तरह लोग कहते हैं कि हमने जमीन को दखल कर लिया है और डिसप्लेस्ड परसन्स से झगड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, डिसप्लेस्ड परसन्स के पास पैसे तो हैं नहीं जो मुकदमा लड़ सकें। होता यह है कि जवानी उन्हें कह दिया गया कि यह जमीन तुम्हारी है और वे कब्जा कर लेते हैं लेकिन जब आपस में झगड़ा हो जाता है और मुकदमा की नीबत आती है तो वहां उनसे जमीन पर कब्जा करने की अथोरिटी मांगी जाती है कि तुम अधिकार दिखलाओ कि यह जमीन तुम्हारी है। इस तरह उन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनका मसला हल किया जाय और जिस तरह से हो सके उन्हें बसाने की कोशिश की जाय। गांव वाले अगर कुछ आपत्ति करते हैं तो उनका फंसला जल्द कर दिया जाय ताकि उन्हें कोर्ट में नहीं जाना पड़े इसलिये कि उनके पास पैसे नहीं हैं।

आज तीन-चार साल से वे लोग बेकार पड़े हुए हैं, उनको तकलीफ हो रही है। आप उनके लिए अच्छा से अच्छा बन्दोबस्त करें। जिस डी० वी० सी० से सारे देश को फायदा हो रहा है उससे उनको भी फायदा पहुँचावे नहीं तो डी० वी० सी० योजना को वे लोग अभिशाप समझ रहे हैं। यह सही है कि इससे समूचे भारत की उन्नति हो रही है लेकिन वे लोग बेचारे बेघर बार के हो गए उनकी जिन्दगी बरबाद हो रही है इसलिये मैं कहूँगा कि आप उनके बीच में जायें, उनको सान्त्वना दें और ऐसा बन्दो-बस्त करें कि वे लोग भी खुश हो जायें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।

*श्री चुनका हेम्ब्रम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे दीप बाबू ने दामोदर

बंसी कारपोरेशन के एस्टीमेट को हम लोगों के सामने रखा है उसके सम्बन्ध में मैं दो-चार बातों को जाहिर कर देना चाहता हूँ। यों तो इस हिन्दुस्तान में इसे एक बहुत बड़ी प्रमुख योजना मानते हैं और इससे चार फायदा हम लोगों को मिलनेवाला था। पहला फायदा यह था कि जो जमीन कट जाती थी उसे कटाव से रोकना, दूसरा फायदा था कि बाढ़ से जो फसल बरबाद हो जाती थी, १९१३ तथा १९४३ में बंगाल में जिसके कारण अकाल ने भयंकर रूप धारण किया था, उससे बचाना, तीसरा फायदा था बिजली यानी विद्युत् पैदा करना जिससे सारे हिन्दुस्तान की उन्नति हो और चौथा फायदा होने को था कि सिंचाई का प्रबन्ध हो जिससे काफी पैदा हो। हमें बहुत खुशी है कि इस योजना के द्वारा हिन्दुस्तान को काफी लाभ होगा लेकिन साथ ही साथ इस बिहार के लोगों को तकलीफ भी है। उस अंचल के जो रहनेवाले हैं उन लोगों को क्या नुकसानी हुई है यह किसी से छिपी नहीं है। वहां के लोग डिसप्लेस्ड हो गए। दो वर्ष पहले आपको मालूम हुआ होगा कि मैन्यन डाम के चलते जामतारा में कितना असंतोष फैल गया, वहां इसके लिए स्ट्राइक किया गया था कि लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को संतोष दिया गया लेकिन आज तक जो भी उनकी मांगें थीं, उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर सकी, उन लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही।

अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब है कि वहां के लोग जमीन नहीं देते तो यह

डी० वी० सी० नहीं बनती ?

श्री चुनका हेम्ब्रम—जी हां। अगर वहां के लोग जोर लगाते तो डी० वी० सी०

नहीं बन सकती थी और अगर बनती भी तो उस हालत में कि भारत सरकार को सब अधिकार है, जिस किसी को भी जहां से चाहे उजाड़ कर दूसरी जगह भेज दे। ऐसा करने पर भारत सरकार कर सकती थी, हमारी सरकार को सब अधिकार है लेकिन जो लोग गणतंत्र को मानते हैं, जो लोग गणतंत्र के सिद्धांत को मानते हैं, जो गणतंत्र की भावनाएं हैं उन्हें मानते हैं और जनता की तकलीफ को नहीं समझते हैं तो हमें तकलीफ होती है। आपको मालूम हुआ होगा कि उस क्षेत्र में केवल मैन्यन डाम से २१ हजार एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न हो गयी। उसमें खेती करने के लायक करीब १३ हजार एकड़ जमीन थी। उसमें अनाज १ लाख, ४० हजार मन होता था। इसी तरह के चार डाम.....

अध्यक्ष—जब जलमग्न हो गया तब तो वहां कुछ भी नहीं होगा ?

श्री चुनका हेम्ब्रम—जब जमीन ही डूब गयी तो कैसे कुछ हो सकेगा। जो

भूमि डूब गयी उससे बिहार को ६ लाख मन गल्ले की नुकसानी हुई जिससे लगभग एक जिले के आदमियों को आठ महीने तक खिलाया जा सकता था। १ लाख एकड़ जमीन डूब गयी। हम नहीं समझ पाते कि हमारी सरकार किस नीन्द में सोयी हुई है कि इतना प्रोडक्शन मारा गया और उसकी क्षति पूर्ति के लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। वहां के जो लोग डिसप्लेस्ड हो गए हैं वे अभी तक नहीं बस सके हैं, उनके खाने की और रहने की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं। आज इस बांध में करोड़ों करोड़ रुपए लग रहे हैं। इरिगेशन के फायदे के लिए १९४८

से १९५५-५६ तक इसमें काफी रुपय लग गये हैं। इसमें १७ करोड़ ५० लाख १५ हजार १५३ रुपए लग गए। हमलोगों ने बराबर इसके लिए रुपया दिया कि इसके पूरा हो जाने से काफी सिंचाई होगी, हमलोगों को भी सिंचाई करने में सुविधा होगी और सारे देश को भी इससे फायदा पहुंचेगा। हमारे भूतपूर्व सिंचाई मंत्री कहा करते थे कि हम अपने प्रान्त को स्वीटजरलैंड बनाने जा रहे हैं। उस दिन की बात मुझे याद आती है जब हमारे फूलन प्रसाद वर्मा, जो गुजर चुके हैं, अब इस दुनियां में नहीं हैं, इसी में हों या कहीं भी हों, इससे सारे हिन्दुस्तान को फायदा होनेवाला है। इससे काफी सिंचाई होगी लेकिन हमें ऐसा अन्दाजा होता है कि बिहार प्रान्त की एक इंच जमीन को भी सिंचाई इससे नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष—आपने तो बताया कि फ्लड हो गया।

श्री चुनका हेम्ब्रम—इससे केवल हमलोगों को इतना ही फायदा हुआ कि फ्लड से

जो जमीन कट जाया करती थी वह बच गयी। इसके अलावा हमलोगों की काफी जमीन बरबाद हो गयी, कितने लोग इसके चलते बेघर बार के हो गए। पहले सिंचाई के सम्बन्ध में कहा गया है कि इससे ३० हजार एकड़ की सिंचाई होगी फिर वाद में २० हजार एकड़ कहा गया। जब-जब हमलोगों ने कुछ स्कीम रखी तो ट्राइबल एरिया में ही रखा, संथालों को ही परेशानी में डाल कर उन्हें आपने भुलावा दिया। आज भी आपकी यही नीति है कि जहां-जहां ट्राइबल लोग बसे हुए हैं उसी क्षेत्र में आपने हर प्रोग्राम को रखा। कोई भी इनडस्ट्री हो कोई डाम हो सब आपने वहीं बनाया लेकिन वहां के लोगों को इन सबों से कुछ फायदा नहीं हुआ। आपने उनको उनके लिए आपने कोई चिन्ता नहीं की। आज कन्स्टीच्युशन में भी एक अलग प्रावी-प्रति उन्हें हमदर्दी नहीं है, आपने वहां के लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा है, हमारे इलाक़ की जमीन की सिंचाई के लिये कुछ भी नहीं सोचा है, इस डी० वी० सी० से उस क्षेत्र को कोई फायदा नहीं है।

श्री राम चरित्र बाबू ने बताया था कि आपकी जमीन उबड़-खाबड़ है इसलिये वहां सिंचाई नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं कि वहां डैम बना और उससे आज बेघर के हो गये हैं। परन्तु आपने उनके लिये न कुछ सोचा और न कुछ इन्तजाम लेकिन आप सिर्फ जिम्मेबारी तक ही लिया, कुछ काम नहीं किया। हम बराबर प्रश्न तकलीफ होती है और उनका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है इसलिये आपको उनके लिये तकलीफ होनी चाहिये थी पर आपको उनके लिये कोई तकलीफ नहीं है। उनकी जमीन चली गई, वे इधर-उधर मारे फिर रहे हैं। आज जिनके पास कुछ जमीन है वे तो आप खुद सोच सकते हैं। आज फिर पंचेत डैम बननेवाला है, न मालूम इससे कितने संथालियों का घर उजड़ेगा। हम संथाली आपको कौन-सा कसूर किये हैं जिसकी सजा आज हमें मिल रही है। आज में ५, ६ वर्ष से यहां आपके साथ बैठ रहा हूं लेकिन

में देखता हूँ कि आप हमारे इलाके के लिये कुछ भी नहीं किये हैं। आज हमारे यहाँ गणतंत्र राज्य है लेकिन हम कैसे मानें कि हमारे यहाँ गणतंत्र है जबकि हम संथालियों के लिये कुछ भी सुविधा का काम नहीं किया गया है। जो रुपया डैम में खर्च हुआ है उसके लिये सेन्टर, बंगाल और बिहार की सरकार को मिलाकर १७ करोड़, ८० लाख ५३ हजार १०० रु० सूद में लगेगा।

(अन्तराल)

रिजनल इम्प्लायमेन्ट ऐन्ड ऐडवायजरी कमिटी के लिये एक प्रतिनिधि सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा।

ANNOUNCEMENT REGARDING ELECTION OF A MEMBER TO THE REGIONAL EMPLOYMENT AND ADVISORY COMMITTEE.

अध्यक्ष—रिजनल इम्प्लायमेन्ट ऐन्ड ऐडवायजरी कमिटी के लिये एक प्रतिनिधि

सदस्य का निर्वाचन करना है। इसके लिये केवल श्री डुमर लाल बंठा उम्मीदवार हैं। मैं इनके विधिवत निर्वाचित होने की घोषणा करता हूँ। (अपथपी)।

डी० वी० सी० के १६५७-५८ के बजट स्टीमेट पर वाद-विवाद।

DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATE OF THE DAMODAR VALLEY CORPORATION FOR 1957-58.

श्री चुनका हेम्ब्रम—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि मैथन डैम

से बहुत से आदमी डिसप्लेस्ड हो गये हैं। उनकी परेशानी बहुत बढ़ गयी है। सरकार का काम जिस रफ्तार से उनकी बसाने के लिये होना चाहिये नहीं हो रहा है। इस बजट में केवल ७,००० रु० इनको बसाने के लिये रखा गया है, इसका मतलब यह है कि सरकार इनको बसाने के लिये बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रही है। जहाँ पहले २ लाख, ८६ हजार रु० रखा जाता था वहाँ केवल आज ७ हजार रु० ही रखा गया है। हमलोगों को जितनी मुसीबत बढ़ती जाती है सरकार बजट में रुपया कम करती चली जा रही है। इसलिये हम अफसोस के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार हमलोगों की ओर बहुत कम ध्यान दे रही है। जब सेन्टर से संथाल परगना के डिसप्लेस्ड लोगों को बसाने का अधिकार आपको मिला था उस समय हमलोगों में बड़ी खुशी हुई कि हमारी सरकार को ही बसाने का अधिकार मिला है, हमलोगों का काम बहुत जल्द हो जायगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने कटमोशन में भी डिसप्लेस्ड परसन के बारे में कहा था कि आपने उनके लिये कुछ भी नहीं किया है। वहाँ की जो हालत है उसे देखकर कोई भी जनतंत्र सरकार को दुःख और हमदर्दी हो सकती है। अगर कोई जनतंत्र सरकार अपनी राष्ट्र उन्नति के लिये अपने राज्य के किसी जगह के आदमी को डिसप्लेस्ड करना चाहे तो उसे उसी तरह से उसे बसाने के लिये भी ख्याल रखना चाहिये तभी सचमुच में राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। लेकिन हमारी सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस बिहार प्रान्त के लोग यहाँ सुख संपन्न का जीवन व्यतीत करें लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती है कि सरकार आदिवासियों का ख्याल क्यों नहीं करती है, इनके प्रति

उनकी क्या मंशा है। सारे हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने के लिये जिन-जिन चीजों की आवश्यकता थी उसे वहाँ के लोगों ने दिया और उनके लिये सरकार कोई चेष्टा नहीं कर रही है। कानून भी बना है जो डिस्प्लैस्ड पर्सन्स ऐक्ट के नाम से है। इसमें यह है कि घर के बदले घर मिले और जमीन के बदले जमीन मिले। अगर यह नहीं मिलता है तो इसका कम्पेन्सेशन दिया जाये। वहाँ के लोगों को समझाया गया था कि जमीन के बदले जमीन मिलेगी और सरकार के कहने पर वहाँ के लोगों ने अपनी जमीनें दे दीं, आप जानते हैं कि वहाँ एक लोकोमोटिव कारखाना बनाया गया जो चित्तूरंजन में है। संथाल लोगों का जो बकाया था वह भी नहीं दिया जा रहा है। वह लोग अपनी जमीन के बदले जमीन मांगते हैं ताकि वहाँ रहें लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, लोग दर-दर मारे फिर रहे हैं, उनके रहने का कोई प्रबन्ध नहीं है! उनको जो कम्पेन्सेशन का रुपया मिलता है वह चोरी हो जाता है चूंकि उन लोगों के पास रहने को घर नहीं है कि रुपया जाकर घर में रखें। उन लोगों को अभी सब कम्पेन्सेशन के रुपये भी नहीं दिये गये हैं जिसके कारण उन लोगों को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सरकार हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, सरकार वेलफेयर के नाम से रुपया खर्च करती है लेकिन हमलोगों को उससे कोई लाभ नहीं होता है। सरकार हमलोगों को आगे बढ़ने में बाधा डालती है। आखिर सरकार का ऐसा सिद्धांत हमलोगों के प्रति क्यों है। वह हमलोगों को किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने देती है, वह हमलोगों के डेवेलप करने का कोई विचार ही नहीं रखती है। जो रुपया सरकार ने इस मद में रखा है वह सरकार के स्टैबलिशमेंट में खर्च किया जाता है और नाम हमलोगों का होता है कि आदिवासियों पर खर्च किया गया है। सरकार को यह सोचना चाहिये कि वह सरकार के परिवार हैं उनको अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिये। इसलिये हुजूर में सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस पर ख्याल करे। हमारे बजुर्ग श्री दीप बाबू जो सिंचाई मंत्री हैं वह इस बात को समझते होंगे और मैं समझता हूँ कि शायद उनकी हुकूमत में वह हमलोगों का ख्याल करें। हमारे भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री राम चरित्र सिंह, ने बड़े ही तत्परता के साथ इस काम में कोशिश की थी। इन्होंने स्वयं वहाँ जाकर इन्स्पेक्शन किया था और उस जगह को अच्छी तरह से देखा था और वहाँ जाकर हमलोगों से मेट की थी, इस विषय पर उनसे बातचीत भी हुई थी। उनको हमलोगों के प्रति काफी हमदर्दी थी। मैं समझता हूँ कि हमारे बजुर्ग दीप बाबू भी उसी तत्परता और हमदर्दी के साथ हमलोगों के लिये काम करेंगे, कठिनाइयों को दूर करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बँट जाता हूँ।

श्री बाबु लाल मराण्डी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट एस्टिमेट के बारे में

बहुत मुवाहिदा चल रही है उसी के बारे में बोलते हुए मैं मैन्यन बांध के बारे में कहना चाहता हूँ कि जहाँ मैन्यन बांध बना है उस इलाके में खासकर आदिवासी लोग एफेक्टेड हुए हैं। उन एफेक्टेड आदिवासियों में मैं भी हूँ। मेरी भी जमीन मैन्यन में बस एकड़ एक्वायर हुई है। मैन्यन के लिए जो जमीन एक्वायर की गयी है वह ठीक तरह से एक्वायर नहीं हुई है। वहाँ के लोगों ने अपने देश की उन्नति के लिए अपना घरबार छोड़ कर दूसरी जगह बसना पसन्द किया फिर भी गवर्नमेंट की ओर से उनकी जमीन का दाम ठीक तरह से नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट १९३०—३२ के सर्वे सेटलमेंट के मुताबिक भी बना था उसी के आधार पर लैन्ड का जो क्लासिफिकेशन किया गया था और उससे

लैंड एक्वायर किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि सन् १६३०-३१ के समय जो जमीन थी वह जमीन आज नहीं है। हमारे आदिवासी भाइयों ने काफी मेहनत करके उस जमीन में खाद डाल करके फर्टिक्लास का लैंड बनाया था उसी के मुताबिक उनकी जमीन का कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये था लेकिन उनको १६३०-३२ के सर्वे सेटलमेन्ट के आधार पर जो लैंड का क्लासिफिकेशन हुआ था उसी के मुताबिक जमीन दी गयी है। यह उचित नहीं है। एक फुलबरिया गांव में २०, २५ फेमिली रहती है उनके गांव को एक्वायर किया गया। उन लोगों ने औब्जेक्शन किया था और उनके औब्जेक्शन पिटीशन को नहीं सुना गया। दुमका के जो एम० एल० ए० थे उन्होंने दो एक व्यक्तियों की जांच करवायी। नतीजा यह हुआ कि जो जमीन १६५० में फर्टिक्लास थी उसको सेकेन्ड क्लास कर दिया गया और उसके मुताबिक जिस जमीन की कीमत १,६५५ रु० था उसको सेकेन्ड क्लास का दाम १,०१० रु० मिला और लोगों को साढ़े छः सो का नुक्सान उठाना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का घर डूब गया उनको हटाकर दूसरी जगह बसाया गया। लेकिन जिन लोगों की जमीन दस बारह आना डूब गयी और ५-६ आना बच गयी और उन लोगों ने जहाँ जमीन के बदले जमीन मांगी थी वह नहीं मिली। वे लोग बहुत तकलीफ में पड़ गये। उन लोगों का घर और जमीन बच गयी वह एक्वायर नहीं की गयी। जिन लोगों ने जमीन के बदले जमीन मांगी थी उनमें किसी-किसी को तो जमीन मिल गयी लेकिन बहुत-से लोगों को जमीन नहीं मिली और वे डी० वी० सी० के पीलर के पास झोपड़ी बनाकर जीवन बसर कर रहे हैं। जिन लोगों की जमीन ली गयी उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है। उन जमीनों में रैयत कोदो, बाजरा, कुर्ची आदि बोकर खा-पी रहे थे। आज उनको उसका कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया।

मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैंथन बांध के वजह से जिन लोगों की जमीन ली गयी उन लोगों ने जमीन के बदले जमीन और घर के बदले रुपया मांगा था। उन लोगों में जामतारा के जो लैंड एक्वीजीशन अफसर थे उन्होंने प्रोपेगन्डा किया कि जमीन के बदले में जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए वे लोग यह सुनकर घबड़ा गये और ३,१२३ रैयतों में से सिर्फ पांच सौ रैयतों ने जमीन के बदले में जमीन मांगी, आपको मालूम होना चाहिए जिन लोगों ने जमीन के बदले रुपया ले लिया उनकी हालत बहुत-ही खराब हो गयी है। उन रुपयों से वे लोग जमीन खरीद नहीं सके और वह रुपया खर्च हो गया। वे चाहे आदिवासी हों या गैर-आदिवासी, जिन लोगों ने रुपया लिया वे लोग न तो अपनी जमीन खरीद सके और न घर ही बनवा सके। आज वे डी० वी० सी० पीलर के पास झोपड़ी बना कर गुजारा कर रहे हैं। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की जमीन ली गयी है और घर लिया गया है उनको वसन्त ऋतु आते-आते उनके रहने के लिए घर का इन्तजाम कर देना जरूरी है।

आप मशीन के द्वारा वहाँ रिक्लेमेशन का काम कराते हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि २०-२५ फेमिली बेकार हो गये हैं, और तीन-चार वर्षों में आप सिर्फ ३७ एकड़ जमीन रिक्लेम कर पाये हैं। यह बात तय हो गयी थी कि जमीन के बदले जमीन दी जायगी लेकिन अब उनको सिर्फ क्रीप कम्पेन्सेशन दिया जाता है। क्रीप कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में भी आपने जो वादा किया था उसके अनुसार नहीं दे रहे हैं। १६४० की रेट के अनुसार कम्पेन्सेशन देने की बात थी और उसके अनुसार एक एकड़ के लिये ३८० रुपया मिलना था लेकिन आप नहीं दे रहे हैं।

फर्टीलाइस जमीन के लिये सिर्फ १९६ रुपये मिल रहे हैं और वह भी लोगों को समय पर नहीं मिलता। १९५६ में सबों को क्रीप कम्पेन्सेशन मिला भी नहीं। उदाहरण के लिये मैं कह सकता हूँ कि छोटे हेम्रम जो कुरसूल के रहनेवाले हैं उन्हें क्रीप कम्पेन्सेशन १९५५-५६ का नहीं मिला।

जमीन के बदले जिन्हें जमीन आपको देना था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। रिक्लेमेशन के लिये जो कम्पेन्सेशन आप देते हैं वह भी एक इन्स्टीलमेंट में नहीं मिलता। पहला इन्स्टीलमेंट में १५० रु० मिलता है और जब एक-दो महीने के बाद लोग दूसरे इन्स्टीलमेंट के लिये जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पहले इन्क्वायरी करके देखें कि आपने पहले इन्स्टीलमेंट को सचमूच में खर्च किया या नहीं तब क्या मिलेगा। इस तरह लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस परिस्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार रिस्टीलमेंट के सवाल पर ठीक से विचार करे।

***Shri RAMCHARITRA SINHA :** Mr. Speaker, Sir, I had no mind to take part in this debate, but on examination of this Budget I found certain things which leave for me no other alternative but to intervene in to-day's debate.

In the first place, Sir, I must ask the House to remember that whenever I spoke from the Treasury Benches about the irrigation from the Tilaiya Dam I said that in the preliminary report there was an item which showed that from Tilaiya Bihar will have irrigation facilities for something like about 1 lakh acres. But when the detailed plan and estimate was prepared it came to this that only 20,000 acres would be irrigated from Tilaiya. On a further examination of the position it came to light that as a matter of fact only 12,000 acres would be irrigated. And, therefore, Sir, we ultimately gave up the idea of obtaining any irrigational facility from Tilaiya. In this connection I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister for Irrigation and Power to the bottom of page 34 of the Budget Estimates, in which it is written :

"Expenditure on (iii)(a) represents 40 per cent of the common expenditure on Tilaiya Dam with a proportionate share of overhead and general charges. The expenditure is allocable to the States of Bihar and West Bengal in proportion to their guaranteed annual off takes of water for agricultural purposes, in accordance with Section 34(2) of the Act. On a tentative basis, it has been assumed that Bihar will derive about 22% of the irrigation potential of the Tilaiya reservoir."

Now, Sir, the position is that Bihar is not going to have even an acre of land irrigated from Tilaiya, but we have to bear the proportionate cost of 40 % of the common expenditure on the Tilaiya Dam. As for Bengal, Sir, they are to pay the proportionate cost for they will have the water from the Dam.

The Government of India have not shared any portion of the cost of construction of this dam. Our position is that because we are not going to get irrigation water from this dam we need not pay a single farthing.

Again, I should like to draw the attention of the Hon'ble Minister to page 154 of the Budget Estimates wherein the allocation of estimates between participating States is given. It was contemplated that Bihar will have additional revenue through sale of electricity generated through the D. V. C.

This year we find from column 3 that we get an income of 122 lakhs and we are to give Rs. 5,07,99,000 and deducting our part of income we will have to give something like 3 crores and 85 lakhs. Again under Irrigation (b) "Irrigation in Upper Valley (allocated to Bihar—Section 34(1) of the Act)" there is Rs. 14,32,000. I, therefore, draw the attention of the Government that they should take very strong attitude that since they are not to be benefited in the matter of irrigation they should not be made to pay a single pice. Then, Sir, I would like to draw the attention of the Government further that the overhead charges for Bihar is more than Bihar should be asked to pay and this matter was pressed upon the attention of the Damodar Valley Corporation. I do not know how far the Government has proceeded in this matter, but I should ask the Government to take a very strong attitude so that Bihar should not be charged too heavily.

Then there are two things more. When the Damodar Valley Corporation was being established I made this point that when the lakes would be developed they would be as beautiful as those in Switzerland and that then the first preference for fisheries should be given to the people of that locality. I would like to know how far the matter has proceeded in this direction and I want the Government to press this point on the Damodar Valley Corporation. The second point was that when water was exhausted from the lakes then any land that has to be developed temporarily should be leased out to the people of the locality. I would like to know how far the Government has pressed this claim of Bihar to the Damodar Valley Corporation.

I think the hon'ble members of this House will remember that they had always been talking of cottage industries. They thought that it was the duty of the Damodar Valley Corporation to develop cottage industries. I think it is the duty of the Bihar Government to develop cottage industries when there is electricity and I think that if Bihar Government is serious about developing modern cottage industries this can be done because it has got cheap electricity and by doing so it will be doing great service to the people of Chotanagpur who have sacrificed

for the common good a large portion of their land. So far as I know there is no plan of cottage industries of the Government except that of a small mechanical industry. They can have chemical industries with the help of the people.

Now there are two things more. I drew the attention of the Government when I was talking on drought that there was discussion in the Bengal Assembly that the Damodar Valley Corporation Act should be amended in such a way that there should be only one man in the Corporation or the Corporation should be dissolved. That I pointed out as the Leader of the Opposition has done to-day. I do not know how far Government have examined this question and I do not know whether they are going to India Government to say that if the Corporation is reduced to one-man's show Bihar will have no place because Bengal will be the big brother who always gets something from Bihar and Bihar will be ignored. I do not know whether the Treasury Benches feel as I feel that because of the weak policy of the Bihar Government, Bihar has been a loser. The other thing that I have come to know from a most reliable source is that there is a move on behalf of the Damodar Valley Corporation that Bihar will get only 10,000 K. W. of power. This is a very serious thing. We went there for electricity because we knew that this electricity will help us to develop irrigation as well as our mineral resources. I suspect that the big brother is going to give us only 10,000 K.W. So I ask the Government to consider this seriously and our fight should be that we must have as much as is commensurate with our sacrifice. If the Government is going to show weakness I am sure this province will not be able to develop as much as it should in the proportion if its resources. I do not want to detain the House any more.

I hope that this point will be noted down by the Hon'ble Minister for Irrigation and Power and I hope that he will move in the matter and press upon the Chief Minister to be pushing about it, and then I may be sure that he will succeed to push him up and he may hope to be successful in his endeavour and Bihar will develop as we have planned to develop it.

श्री हरिचरण सोय—अध्यक्ष महोदय, दामोदर वैली का अभी तक जो काम हुआ

है वह काफी शानदार है और उसके लिये हम सभी भारतवासी को गर्व है। हमारे सामने डी० वी० सी० का १९५७-५८ का बजट एस्टीमेट है और इसको मँने काफी

गंभीरता के साथ अध्ययन करने की कोशिश की है। इसमें दो-चार बातों को मैं पाता हूँ जिनको मैं आपके द्वारा सदन के सामने रख देना चाहता हूँ। पहली बात जो है वह यह है कि ओभरहेड चाजेंज और जेनरल चाजेंज को देखने से बहुत ताज्जुब होता है कि हमारे देश के लोग इतने गरीब होते हुए भी इतनी बड़ी तनखाह पर चीफ इंजीनियर को रखे हुए हैं जिसे मैं उचित नहीं समझता हूँ।

अध्यक्ष—आपको नयी बातों को कहने के लिये समय मिला है। पुरानी बातों को कहने में समय नष्ट न कीजिये।

श्री हरिचरण सोय—मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तनखाह पर अब तक एक अफसर को रखने की क्या आवश्यकता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कितने दिनों तक इस अफसर को रखा जायगा।

दूसरी बात यह है कि रिहैबिलिटेशन का काम करने में कारपोरेशन और बिहार सरकार की सहानुभूति और दूरदर्शिता नहीं रही है और इससे यह काम ठीक से नहीं हो रहा है। जितने लोगों को डिसप्लेस्ड किया गया है उनको रिहैबिलिटेड करने की कोशिश ठीक तरीके पर नहीं की गयी है।

अध्यक्ष—क्या सभी डिसप्लेस्ड परसन्स के लिये अभी तक नये मकान नहीं बने हैं?

श्री हरि चरण सोय—नहीं बने हैं और इसी से तो वहां पर बहुत असंतोष है।

इसलिये मैं कहता हूँ कि जो लोग डिसप्लेस्ड हैं, काफी कष्ट में हैं उनको कम्पेंसेशन देने की बात है वह भी हमको ठीक नहीं मालूम होता है क्योंकि आदिवासी लोगों को जब एक दफा काफी रुपया मिल जाता है वे इसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं और ऐन्टी शोशल एलिमेंट उनका रुपया ऐंठ कर नाजायज फायदा उठाता है। इसलिये सरकार को सोचना चाहिये कि किस तरह से इन लोगों को रिहैबिलिटेड किया जाय। इन लोगों के हाथ में जब रुपया मिल जाता है तो वे इसको बरबाद कर देते हैं। अभी तक रिक्लेमेशन भी ठीक तरह से नहीं हो सका है। इनको जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष—आप जमीन के बदले जमीन चाहते हैं। क्या घर के बदले घर नहीं चाहते हैं?

श्री हरिचरण सोय—जी हां। घर के बदले घर चाहते हैं पर इस सम्बन्ध

में सरकार से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर से जो जमीन रिक्लेम किया जा रहा है वह ठीक नहीं होता है। ऐसा जमीन उबड़-खाबड़ रहता है और खेती के लायक नहीं रहता है। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये और इसकी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें वहां की जमीन खेती लायक तैयार हो ताकि उसमें वहां के लोग खेती कर सकें। इसके लिये यह

उपाय है कि जो जमीन रैयतों को मिले उसके लिये उनको अधिकार दे दिया जाय कि वे अपने से उसे खेत लायक बनावें इसके अलावे वहां सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कारपोरेशन और बिहार सरकार को इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिये।

अध्यक्ष—डैम के पास पानी नहीं, यह तो एक अजीब बात है। यह तो वैसे

ही है जैसे गंगा के किनारे कोई प्यासा रहे। हमलोग तो ट्यूब-वेल के लिये लड़ते हैं लेकिन आप के यहां डैम है फिर भी पानी नहीं?

श्री हरिचरण सोय—यही तो रोना है। इसीलिये हमारा अनुरोध है कि वहां

के रैयतों को स्वयं रिक्लेम करने के लिये खर्च मिले।

अब मैं जेनरल डेवलपमेंट के खर्च पर आता हूं। इसमें बतलाया गया है कि एफीरेस्टेशन और स्वाएल कनजर्वेशन के नाम पर रुपया खर्च किया जाता है और इस तरह का बहुत खर्च दिखलाया गया है। यह खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का है। वहां घूम कर देखने से कोई टैन्जिबुल चीज नहीं नजर आती है। हमें समझ में नहीं आता है कि यह स्कीम कहां तक सक्सेस्फुल हुआ है। इसमें काफी रुपया खर्च हुआ है पर हमें विश्वास नहीं होता है कि इसमें कहां तक सफलता मिली है। मेरे ख्याल से सारा रुपया बर्बाद किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि बहुत-से माननीय सदस्यों ने वहां कांटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में कहा है। वहां पावर है और वहां कांटेज इंडस्ट्री का काफी फीनिशिंग वर्क्स की बात है।

तीसरी चीज है इसी तरह की कुछ छोटी-छोटी चीजों का मैन्युफैक्चर करना पर वह भी नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष—वहां स्कूल बने हैं या नहीं?

श्री हरिचरण सोय—मैं तो चाहता हूं कि वहां कॉलेज बने पर वहां अभी कोई स्कूल भी नहीं खुला है।

हमलोगों का चार्ज है कि रिहैबिलिटेशन का काम विल्कुल असफल हुआ है। इसकी रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि इस पर बहुत रुपया खर्च होता है पर इस राज्य के लोगों को इससे कुछ लाभ नहीं होता है।

हमलोगों ने समझा था कि डी० वी० सी० एक हेपी वेली होगी लेकिन वहां के लोगों का अनुभव उसका ठीक उल्टा है। वह वेली ऑफ डिस्डालियुशनमेन्ट और फस्ट्रेशन रखे ताकि सारे भारत के हित के साथ-साथ स्थानीय लोगों की हित में भी वृद्धि हो।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक मेम्बर चेंबरमैनशीप नहीं रहना चाहिए। इसमें बिहार का भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सके तो कम-से-कम एक एडवाइजरी बोर्ड रहना चाहिए जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल और केन्द्र के प्रतिनिधि हों।

अन्त में मैं इतना कह कर बैठ जाना चाहता हूँ कि मैन्टिनेन्स और अपरेशन पर जो खर्च है और उसका जो हिस्सा हमारे राज्य के ऊपर बैठाया जाता है वह बिहार राज्य को मिलनेवाले फायदे के आधार पर स्थायी रूप में न्याय के साथ हो।

अध्यक्ष—अभी ३ बज रहा है। साढ़े तीन बजे तक सदस्यगण को इस पर बोलने का अधिकार है और उसके बाद आधा घंटा सरकार का जवाब के लिए रखा गया है।

श्री मोलानाथ भगत—अध्यक्ष महोदय, १९५७-५८ का बजट एस्टीमेट करीब

१७ करोड़ का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डी० वी० सी० की मद पर कुल खर्च करीब ८२ करोड़ का है। जहां तक रिहिविलिटेशन की बात है, इस पर पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है। कई सालों से जो नजारा नजर आती है वह आपसे छिपी हुई नहीं है। गत पांच-छी वर्ष से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि राष्ट्र के लिए यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है और खास कर छोटीनागपुर को इससे काफी लाभ होगा। सब से पहले फल्ट कन्ट्रोल, पावर और इरिगेशन के सम्बन्ध में प्रिलिमिनरी वर्क हुआ। डी० वी० सी० ऐक्ट की धारा १२ में है:

“In addition to the various projects, referred to above, Corporation has also immediately to carry out certain developmental activities in the D. V. C. and its area of operation” जो छोटीनागपुर और संयाल परगना में है “.....has been increasing expenditure on these activities which are in furtherance of three main objects, viz., power, irrigation and flood control. The development activities include schemes on afforestation, soil conservation, agricultural and industrial development, research -cum-demonstration work, training schemes,.....”

तो ये सब बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। मगर वहां हम जो पाते हैं वह यह है कि तीन-चार बड़े-बड़े डैम बने हैं जिसमें पानी जमा है। उस पानी से सिंचाई का काम हो सकता था। जब एक्स इरिगेशन मिनिस्टर वहां गये थे तो तिलैया के लोगों को उन्होंने कहा था कि इस डैम से एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। बात चलते-चलते यहां तक आई कि ३३ हजार और उसके बाद १२ हजार एकड़ की सिंचाई होगी। मगर आज आपको एक इन्च जमीन की सिंचाई भी देखने को नहीं मिलेगी। हमको समझ में नहीं आता है कि आपका एक्सपर्ट किस तरह के हैं और कैसी उनकी एडवाइस होती है। यह ठीक उसी तरह की बात है जैसा कि कहावत है

“Water, water everywhere, but not a drop to drink.”

तो इस पानी से कोई फायदा नहीं होता है। उस पानी को देख कर वहां के जनता पार्टी के लोग प्रचार करते थे कि बिजली से उस पानी का सार निकाल दिया गया है और वह पानी बिल्कुल बेकार है। ऐसी बात सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होता होगा, अध्यक्ष महोदय। लोगों ने यह प्रचार किया कि उस पानी से सिंचाई का काम नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष—यह तो उन लोगों का प्रचार था आपके कहने के सुताविक। आपने

क्या किया सभा को बतलाइये।

श्री भोलानाथ भगत—अध्यक्ष महोदय, उस पानी के चलते वहां इंडस्ट्रीज को काफी डेवलप किया जा सकता है। वहां इंडस्ट्रीज के अलावे डेयरी फार्म भी हो सकता है। हमारी सरकार का फज है कि इन सब चीजों के लिए प्रेस करे।

हम देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार का डी० वी० सी० में कुछ हाथ ही नहीं है। हमारी सरकार धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। हुजूर, आपको याद होगा कि पांच-सात साल पहले हमलोग यह समझ रहे थे और यह कहा गया था कि डी० वी० सी का हेड ऑफिस कलकत्ता से रांची चला आया है। लेकिन आज तक यह चीज नहीं हो पाई। बल्कि इसके उल्टा ही देखने में आ रहा है। जिस तरह बिजली की रोशनी से लोगों की आंखों में चकाचौंध हो जाती है उसी तरह से हमें डी० वी० सी० के अफसरों को देखकर आंखों में चकाचौंध हो जाती है। इतने अफसर, इतनी बड़ी मशीन लेकिन आपको यह देख कर आश्चर्य नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष—और जमीन भी बिहार ही की?

श्री भोलानाथ भगत—जी हां। अगर यह ख्याल है कि हमारे यहां टेक्निशियन्स

नहीं हैं तो आप अमरीका से या दूसरी जगहों से टेक्निशियन्स ला सकते हैं। उचित यही था कि वहां के लोगों को ट्रेन्ड करके उनसे काम लिया जाता। आप जानते हैं कि १ लाख एकड़ जमीन में जहां काफी घान होता था वह तमाम डी० वी० सी० के कारण पानी में डूब गई। हमारे पहले के इरिगेशन मिनिस्टर कहते थे कि हम इसे स्विटजरलैंड बनायेंगे। उनका कहना तो गलत था लेकिन जर्मनी में जिस तरह रूर वैली, राइन वैली है उसी तरह यहां भी हमारी सरकार इन्साइट और प्लैनिंग काफी विकसित हो जाता और जो वहां की गरीबी है वह दूर हो जाती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां का अजीब ही नजारा है और अजीब चाल है। हम तो आशावादी हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी आशा १० वर्षों में भी पूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बतलाता हूं कि वहां इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट भूमियां के माइका की मोनोपोली है। अगर हमारी सरकार में इन्साइट होता, प्लैनिंग का इतना स्कोप है कि क्या बयान किया जाय। आप जानते हैं कि छोटानागपुर में होती तो रोब माइका को जो काफी तादाद में बाहर भजा जाता है उसे हमलोग बिहार ही में नहीं बल्कि सारे संसार में देखा जाय जो सबसे अच्छी लाह छोटानागपुर में पायी जाती है जो बाहर भेजी जाती है।

अध्यक्ष—ये बातें इस जगह कैसे संगत है, आप डी० वी० सी० के बारे में कहें।

श्री भोलानाथ भगत—मैं यह कह रहा हूँ कि एलेक्ट्रिक पावर है, सब कुछ है

लेकिन उसको इंटिग्रेट करने की शक्ति सरकार में नहीं है। उस इलाके के प्रति कारपोरेशन की सहानुभूति अगर होती और हमारी सरकार इन्साइट से काम लेती तो बिहार की इंडस्ट्रीज में काफी तरक्की होती और दस वर्षों में यहां का नक्शा बदलता नजर आता। इसके अलावा आप जानते हैं कि उस एरिया में हाल में टिन ओर्से का एक माइन निकला है।

अध्यक्ष—वह तो सरकार का हुआ, डी० वी० सी० से क्या मतलब ?

श्री भोलानाथ भगत—मेरे कहने का मतलब यह है कि डी० वी० सी० के

जरिए इंडस्ट्रीज को काफी प्रोत्साहन मिलता और डेवलप किया जा सकता है। आप देखते हैं कि १० हजार किलोवैट बिजली का कोटा बिहार का है और डालमिया नगर, टाटा आदि-आदि जगहों में बिजली की लाइन जा रही है। अगर इस बिजली पावर को उपयोग किया जाता तो रीमैटीरियल्स के एक्सपोर्ट का जो आज चार्ज है वह भी कम होता और उसे फिनिश करके बाहर भेजा जाता।

अध्यक्ष—आप जल्द अपना भाषण समाप्त करें, साढ़े तीन बजे ही हम लोगों को खत्म करना है।

श्री भोलानाथ भगत—अच्छी बात है, हुजूर। हम लोग सुना करते थे कि तिलैया

डैम बन जायगा तो कई हजार मन मछली का उत्पादन होगा। आज अगर ऐसी बात होती तो हिन्दुस्तान में जो फुड फ़ाइसिस है और जो नेशनल वेल्थ.....

अध्यक्ष—इन चीजों को डी० वी० सी० बजट से क्या मतलब है ?

श्री भोलानाथ भगत—हुजूर, मेरा मतलब यह है कि सरकार ने इसे डेवलप

नहीं किया। आप देखते हैं कि लाख फैक्ट्री के लिए ५० हजार रुपया रखा गया है लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रॉविजन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार को इन्साइट नहीं है और सहानुभूति नहीं है जिसके चलते उस एरिया के लोगों में जिनकी जमीन चली गई है और जहां ज्यादा अनइंप्लायमेंट है, गरीबी है, काफी असंतोष फैला हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि कारपोरेशन के सामने इन चीजों को रखना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान जा सके। आप जानते हैं कि इतना पानी होते हुए इरिगेशन नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की लाइन चार-पांच सौ मील चली जाती है लेकिन मुर्ली फैक्ट्री और दूसरे इलाकों में बिजली की लाइन दौड़ाने की बात नहीं है।

अन्त में एक बात कह कह मैं बँठ जाना चाहता हूँ। मेरा सुझाव यह है कि डी० वी० सी० एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और ऐंट दी कोस्ट ऑफ छोटीनागपुर यह बनाया गया है इसलिए कम-से-कम मल्टीपरपस रीवर वैली प्रोजेक्ट का संचालन करने के लिए जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो सकती है उसे एक सेंट्रल प्लेस में खोला जाय जहां हजारों आदिवासी और दूसरे लोग ट्रेनिंग हासिल करके काम कर सकें।

वे बड़े-बड़े इंजीनियर्स तो नहीं होंगे लेकिन लाइन मैन वगैरह होकर इंप्लायमेंट पा सकेंगे। इस तरह जिन लोगों की जमीन में डी० वी० सी० बना है उनके बाल-बच्चों को लाभ होगा।

श्री नन्दकिशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिए मैं सिर्फ तिलैया

डैम के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ।

हुजूर, तिलैया डैम जो काटी डैम के नाम से मशहूर है हमारे क्षेत्र में पड़ता है। वहां सन् १९४८ में डी० भी० सी० के द्वारा बांध बनना शुरू हुआ। करीब-करीब सरकार की तरफ से प्रोपेगन्डा करने के लिए प्रचारक रखे गये थे और वे लोग उन गांवों में जाकर लोगों को समझाते थे कि उन लोगों के लाभ के लिए यह काम हो रहा है। उन्हें कहा गया था कि जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान बना दिए जायेंगे। जब बांध बनेगी तो उससे आपके लिए सिंचाई का प्रबन्ध होगा और आपकी खेती हरी-भरी रहेगी। यह कह कर लोगों को वहां से हटाया गया लेकिन आज उनकी क्या दशा है कि वे इधर-उधर घूम रहे हैं। हुजूर, इस सूखा के समय में जबकि तिलैया बांध में पानी भरा हुआ है और बांध के अगल-सकी।

(हजारीबाग) चौपारण थाने में वच्छई ग्राम में डी० भी० सी० की ओर से एक आदर्श ग्राम बनाया गया। जो लोग हटाए गए थे उन लोगों को बसाने के लिए यह ग्राम बनाया गया। इस ग्राम के लिए नक्शा ऐसा बनाया गया जैसा कि शहरों की बसाने के लिए बनाया जाता है। उसमें स्कूल, मंदिर, सड़क, तालाब इत्यादि सब थे रह गयीं। जब आदर्श ग्राम बन कर तैयार हुआ तो लोग जाकर देखने गए कि जायगा, लोगों ने इसके लिए अनुरोध किया कि हमलोग वहां नहीं बसेंगे, लोगों ने रहने लायक मकान बना लेंगे क्योंकि जो मकान हमलोगों के लिए बनाया गया है वह बनाए गए हैं वे बहुत अच्छे हैं और यदि वे गिर जायेंगे तो सरकार उन्हें फिर से आज उनकी हालत ऐसी है कि लोग इधर-से-उधर मारे फिर रहे हैं, लोग बेघर-बार

उन्हें जो जमीन दी गयी उसे ट्रैक्टर के द्वारा काफी जोत कर उस समय बहुत अच्छा बनाया गया लेकिन वहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है। उस वक्त ट्रैक्टर से इस तरह के खेत को बनाया गया, उसमें इतनी खाद दी गयी कि खाद के द्वारा ही ऐसी जमीन हो गयी कि लोग देख कर समझें कि जमीन बहुत अच्छी दी गयी है, इसमें या वह खत्म हो गया। उस जमीन में एक एकड़ में आज एक मन भी पैदा नहीं होता है, ऐसी जमीन हो गयी है। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आप उन शरणार्थियों के लिए रहने का इन्तजाम करें, जिन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है उन्हें बसाने का इन्तजाम करें, जिन लोगों की जमीन इसके लिए ले ली गयी

है उन्हें कम्पेन्सेशन देने की कृपा करें। मदन, गुन्डी, उंखा, भोन्डो, मूरी तथा पेन्दी छः गांव चौपारण थाने में ऐसे हैं जहां की जमीन डूब गयी है। उन लोगों को अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है। हजारबाग में जो डी० भी० सी० के अफसर हैं उनके यहां लोग दौड़ते-दौड़ते परेशान हो गए, वे लोग बराबर जाकर कहते हैं कि कम-से-कम ऐसे वक्त में जब कि अकाल पड़ गया है कम्पेन्सेशन दे दिया जाय लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं माननीय सिचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनको जल्द-से-जल्द कम्पेन्सेशन दिलवाने की व्यवस्था करें।

एक बात और अपने जिले के बारे में मैं कह देना चाहता हूं। हमारे जिले में बिजली पैदा की जाती है लेकिन हमलोग अंधेरे में हैं और यह भी पता नहीं है कि हमलोग कब तब अंधेरे में रहेंगे। वहां से बिजली नावादा और ५ ना शहर तक लाई गई है लेकिन वहां पर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोगों पर भी ध्यान दिया जाय। हमारे यहां ५५ गांव डूब गए हैं। इन गांवों के डूब जाने से ४ लाख ८० हजार मन फसल मारी गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि डूब जाने के बाद कुछ भी वहां के लोगों के लिए काम करें ताकि लोगों को तसल्ली मिल सके। वहां के लोगों के लिए बिजली का इन्तजाम करें। चतरा सबडिवीजन में अगर चौपारण होते हुए चतरा बिजली ले जायें तो उन्हें भी और हमें भी तसल्ली होगी कि बला से जमीन डूब गई तो कम-से-कम बिजली तो दी गयी। बिजली से भी वहां के लोगों को काफी लाभ हो सकता है।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं वह यह है कि तिलैया में जितने मकान बनाए गए थे वे सभी मकान खाली पड़े हुए हैं, इसलिए अगर वहां कागज बनाने का कारखाना खोला जाय तो वहां कच्चा सामान भी मिल जाय और काफी लाभ होगा। वहां बांस काफी होता है। वहां से बांस डालमियां बाहर लिए जा रहा है। उस बांस से वहां कागज तैयार किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वहां कागज का कारखाना खोला जाय चूंकि अपना कच्चा सामान वहीं मिल जायगा और वहां के लोगों को भी जिनकी जमीन चली गयी है उन्हें भी रोजगार मिल जायगा। तना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा के सामने डी० वी० सी०

का बजट स्टीमेट उपस्थित है और इस सभा को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। हमलोग हर साल बजट पास करते हैं लेकिन विचार करना है कि बिहार को कितने हद तक फायदा हो रहा है। जब डी वी० सी० का निर्माण किया जा रहा था हमलोगों को बताया गया था कि डी० वी० सी० योजना से बिहार-बंगाल दोनों को काफी परिमाण में लाभ पहुंचेगा लेकिन नतीजा क्या हो रहा है। मैं सिर्फ दो शब्दों को पढ़ देना चाहता हूँ:

“The Damodar Valley Project which is under active implementation since July, 1948, is one of the most important multi-purpose projects and aims to benefit the States of Bihar and West Bengal.”

जहां तक मैंने समझा है उसका परपस था बाढ़-नियंत्रण, सिचाई, बिजली और उद्योग। ये चार मुख्य काम थे जो इस योजना से पूरा होने को था लेकिन हुआ क्या? दो लाइन और पढ़कर सुना देता हूं। इसमें बताया गया था कि १९५४ में

This is from the "New Projects for Irrigation and Power in India, 1954.

"Tilaiya Dam is one of the major schemes to be constructed under the project. The concrete gravity dam of Tilaiya (situated on river Barakar) with its hydro-electric power-house, was completed in September, 1952. Water released from the Tilaiya Reservoir is enough to provide *rabi* irrigation for 75,000 and *kharif* irrigation for 24,000 totalling 99,000 acres a year."

लेकिन होता क्या है? ९९ हजार एकड़ में सिंचाई की सम्भावना थी। जैसा दूसरे सदस्यों ने कहा है मैं भी दुहराना चाहता हूँ कि एक कतरा पानी भी सिंचाई के लिए नहीं मिलता है, एक इंच जमीन भी नहीं पटती है। हम समझते थे कि इससे वहाँ के लोगों की आर्थिक तथा दूसरी अवस्थाओं में तरक्की होगी लेकिन तरक्की के बजाय उनका इकानॉमिक कन्डीशन, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से भी गिर गई है। ऐसी परिस्थिति में जब हमलोग डी०वी०सी० के लिए चार करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उस रुपये से बिहार राज्य के उनलोगों को जो काफी गरीब हैं, उद्योग-धन्धों में काफी पिछड़े हुए हैं, उन्हें क्या फायदा होने जा रहा है। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री से और बिहार राज्य के उस मंत्री से जो इससे सम्बन्धित हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे डी०वी० सी० पर दबाव डालें कि तिलाया डैम में जहाँ काफी पानी है और जिसमें काफी मछलियाँ होती हैं, मछली मारने का हक वहाँ के स्थानीय मल्लाह को प्राप्त रहे। आपको जानकारी होगी कि यहाँ के लोगों को उस जलराशि में मछली मारने नहीं दिया जाता है। यह आपका कर्तव्य होना चाहिए था कि बिहार सरकार इस बात के लिए दबाव डालकर उनके जायज हकों की रक्षा करती जो उन्हें डैम निर्माण के पहले प्राप्त था।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ इतना पानी पड़ा हुआ है और इतना पानी रखते हुए भी बगल के खेतों की फसल पानी के बिना सूख जायें, क्या यह डी०वी०सी० की उदासीनता नहीं प्रकट करता है। आपके यहाँ बड़े-बड़े इन्जीनियर हैं, आपके यहाँ बड़े-बड़े डिपार्टमेंट हैं, आप दस-बीस हाँस पावर की इंजिन देकर उन पास की सूखती फसलों को बचा सकते थे। इसमें हमारी सरकार तथा डी०वी०सी० दोनों उदासीन रहीं। जब ऐसी स्थिति में इस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार नहीं कर सकी तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? आप उन इलाके के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे डी०वी०सी० से फायदा होगा।

दूसरी बात यह है कि जहाँ बिजली पँदा होती है उस इलाके के लोग बिजली से बंचित रखे गए हैं।

भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ने कहा था कि डी०वी०सी० के बन जाने पर छोटानागपुर स्वीटजरलैंड बन जायगा लेकिन वे तो अब मंत्री नहीं हैं तथा उनके सपने सपना-मात्र ही रह गए। वर्तमान सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि उस इलाके के लिए सरकार का कोन-कोन मल्टीपरपस स्कीम है? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वह इस ओर बढ़ना चाहती है या नहीं?

अध्यक्ष—उनके कन्धे पर कितना लदना चाहते हैं?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—४ करोड़ रुपया हम देते हैं तो हमें उस अनुपात ही

में सही फायदा पाने का हक होना चाहिए। यदि बिजली के द्वारा हमारे यहां स्मॉल कौटेज इन्डस्ट्रीज चलाये जायें तो वहां के लोगों को फायदा पहुंच सकता है। जिन लोगों ने इतना त्याग किया है उनके जीवन-यापन तथा आर्थिक स्थिति में कुछ भी सुधार तो होना चाहिए। मैं बिहार सरकार से जानना चाहता हूं कि उसके पास स्मॉल कौटेज इन्डस्ट्रीज वहां चलाने के लिए कोई योजना है या नहीं? हर थाने में और इलाकों में सरकार डी०बी०सी० से मिलकर इसको कर सकती है। सिन्दरी में ५० हजार मजदूर काम करते हैं और इस पर हमारी सरकार को नाज है लेकिन उसमें हमारे यहां के कितने लोग हैं? इसमें सारे हिन्दुस्तान के लोग हैं। सारे हिन्दुस्तान के लिए ऐसी योजनाओं का होना ठीक है लेकिन उस क्षेत्र के लिए छोटी योजनाओं का भी होना आवश्यक है ताकि स्थानीय लोग उससे लाभ उठा सकें। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस राज्य के व्यक्तियों की जेब से यदि एक भी पैसा देना पड़ता है तो यह दुःख की बात है। अन्त में मैं सिंचाई एवं उद्योग मंत्री को दो बातें कहना चाहता हूं। वे स्कीम बनावें कि उस इलाके में किस तरह के उद्योग वे खोलना चाहते हैं और यदि नहीं चाहते हैं तो हम विधान सभा के सदस्यों को खुले शब्दों में कह दें कि उस इलाके के आर्थिक उत्थान के लिए इनकी कोई नीति नहीं है ताकि उन इलाके के लोगों को हम साफ तौर से बतला सकें कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करना चाहती है। डी०बी०सी० क्षेत्रों में जितनी हेड वाटर इरिगेशन ऐन्ड स्टोरेज डैम्स की स्कीम है उसे डी०बी०सी० कार्यान्वित करे ताकि उन इलाके के लोगों की सिंचाई की समस्या हल हो।

अध्यक्ष—डी०बी०सी० के बजट पर यह कैसे लागू होता है, यह तो जेनरल डिसकशन

की बात है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—मैं इसलिए कहता हूं कि यदि बड़े-बड़े डैमों जैसे

तेलैया, कोनार आदि से सिंचाई का काम नहीं हो सका तो छोटी-छोटी नदियों में हेड वाटर इरिगेशन डैम बनाकर सिंचाई का प्रबन्ध डी०बी०सी० करे ताकि बिहार में भी कुछ सिंचाई हो सके तथा कुटीर-उद्योगों को चालू करे।

अध्यक्ष—बहुत-से सदस्यों की दख्खान्त हमारे पास आई हुई है लेकिन मैं सिर्फ एक

ही आदमी को बोलने दूंगा और उन्हें अपना भाषण २० मिनट में खतम करना होगा अर्थात् ३ बजकर ४० मिनट पर खतम कर देना होगा।

श्री सनाथ राउत—अध्यक्ष महोदय, डी०बी०सी० योजना देश की बड़ी-बड़ी योजनाओं

में से एक है और हमारी सरकार को इस योजना के नाम पर बराबर गर्व रहता है कि भविष्य में भारतवर्ष को समृद्धशाली बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस योजना की दूसरी ओर....

अध्यक्ष—आप बतायें कि डी०बी०सी० ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। अपनी

सरकार को तो जो कहना होता है दिन-रात कहते ही रहते हैं।

श्री सनाथ राउत—इस योजना के चलते जिन लाखों भाइयों को क्षति उठानी पड़ी

है उनकी ओर ध्यान देने से हमलोगों को बहुत दुःख होता है। आज १० वर्ष हो गए लेकिन उनके घर की समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी है। डी०वी०सी० में काम करने के लिए जो लोग बहुत दूर-दूर से आए हुए हैं उनके लिए सीमेंट, लोहा आता है और मकान भी बन जाता है लेकिन जिनलोगों ने इसके लिए त्याग किया है उन स्थानीय गरीबों के लिए आज तक शोपड़ी भी नहीं बन सकी है।

अध्यक्ष—शोपड़ी चुनाव के चिन्ह के लिए रहने दीजिए।

श्री सनाथ राउत—सबसे पहले घर की समस्या हल हो जानी चाहिए। आदिवासी

भाई कम्युनिटी लाइफ पसन्द करते हैं लेकिन डी०वी०सी० के चलते उनका कम्युनिटी लाइफ बिल्कुल बिगड़ गया है। वे सभी खेतिहर थे परन्तु उनके लिए घर बनाने को जमीन तो दी जाती है लेकिन खेती के लिए जमीन नहीं दी जाती है। साथ ही उनके भवेषियों के लिए चारागाह की जरूरत है और इसके लिए भी जमीन नहीं दी जाती है। इस तरह से उन गरीबों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एक और दुःख की बात है। डी०वी०सी० के बन जाने से बंगाल में लाखों एकड़ जमीन की सिचाई हो रही है लेकिन जिनकी जमीन इसमें डूब गई है और उनको जो जमीन मिली है उसमें डी०वी०सी० से पटवन के लिए पानी नहीं मिलता है। जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए त्याग किया है उनके लिए यह कितने दुःख की बात है। फिर कम्पेनसेशन का रुपया भी उन गरीबों को नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, वहां लोगों को कम्पेनसेशन का रुपया भी नहीं दिया जाता है, वह उनलोगों को मिल जाना चाहिए। गैन्जर सेंट्रलमेन्ट बहुत पहले हुआ था। उसी के आधार पर कम्पेनसेशन का रेट, जो फर्स्ट क्लास जमीन है और जहां ५ मन उपजता है, उसी रेट से पेमेन्ट किया जाता है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि सन् १९४८ ई० में धान आठ रु० वारह आने मन विकता था और अब इस समय उस समय से धान का अधिक दाम है, लेकिन वे लोग उसी समय के हिसाब से पेमेन्ट कर रहे हैं, अगर उस वक्त पेमेन्ट नहीं हुआ तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पेमेन्ट अभी जो दर है उसी दर से पेमेन्ट होना चाहिए।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि अगर फर्स्ट क्लास जमीन है तो लोगों को फर्स्ट क्लास जमीन उनकी जमीन के बदले में मिलनी चाहिए। सरकार मामूली जमीनों में अपना रुपया खर्च करके खाद्य वगैरह दिलवा रही है ताकि वह जमीन फर्स्ट क्लास की तैयार हो जाए और लोगों को फर्स्ट क्लास की जमीनों के बदले फर्स्ट क्लास जमीन मिल जायें। अध्यक्ष महोदय, अभी तो लोग उस जमीन को लेंगे लेकिन बाद में उनलोगों के पास इतना पैसा कहां होगा कि उसमें फिर से खाद वगैरह का प्रबंध कर सकें, वे लोग तो गरीब हैं उनसे यह कैसे हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनलोगों को उनकी जमीनों के बदले ऐसी जमीनें दे जो कि नैचरल कोर्स के आधार पर हो। और आप किसी गरीब आदमी की बीमारी को इन्जेक्शन और अच्छी-अच्छी दवाओं से उस रोग को अच्छा कर दें, बाद में अगर उसको फिर इसकी आवश्यकता हो तो वह

कैसे इतनी अच्छी दवा का प्रयोग कर सकेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको ऐसी जमीन दे जिसमें नॉचरल कोर्स से उपज हो। वहां के लोग नक और सीधे हैं कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन सरकार को चाहिए कि उनकी समस्याओं को जल्द-से-जल्द दूर करने की चेष्टा करे।

Shri MANILAL YADAV : Mr. Speaker, Sir, the span of five years from the year 1952 to 1956 of the ex-Minister passed like a dream whose dream was to turn the area under Damodar Valley Corporation into Switzerland. This has passed like a dream. It was his pious wish which could not be fulfilled. Now from this new change, the people of the area are hoping that all their hopes will be fulfilled. But this period that is going on from January till November 1957.

SPEAKER : What do you mean by new change ?

Shri MANILAL YADAV : Change in the personnel. I think the new Irrigation Minister will not be suffering from the same psychology disease of dreaming, but he will in actual broad day light, be facing the grievances of the people and if I may be permitted to say the words used in American Parliament that must behave like a 'watch dog' in the affairs of the Damodar Valley Corporation. One of the sufferings of the people of the place is regarding the reclamation of the land.

Sir, hard manual work has also been done by the people and they were compelled to work like machines by the authorities of the Damodar Valley Corporation. I would request the Irrigation Minister to take step to see that the authorities of the Damodar Valley Corporation should not behave like this and they should behave with the people like human beings and the reclamation money should be given to the people as recommended by the appropriate authorities.

Now I will stress through you Sir, the question of housing problems. Yesterday the Food Minister said that the people of Chota Nagpur and Santhal Parganas are very innocent and they do not know how to agitate before the authorities. Nice words, that have fallen from the mouth of the Food Minister are quite appreciable. But I would say that this will not fulfil the demand of the people. Many a time it has been repeated on the floor of this House that the people of Chotanagpur and Santhal Parganas are very innocent and I would say that the Cabinet Ministers and the members of the Treasury Benches should not trade on the miseries and ignorance of the people of the area by using these words. The people who took cash compensation are now homeless. They have sacrificed much and they are now homeless and they have got no means to stand upon. I would request the authorities that at least they would be provided with land so that they can live where they were.

Now, I come to the rate of compensation. The law provides that they would be given compensation at the market rate which was prevailing then. The market rate has gone very high these days but they were given compensation at the old rate, i.e., when rice was selling at a very cheap rate. These days rice is selling at Rs. 30 per maund and the compensation money should have been given at this rate but it has not been done so. I would request the Irrigation Minister through you Sir, that he should not sleep and should not dream like the previous Minister. I would request that he should behave like a watch dog so that the hopes of the people of Chotanagpur and Santhal Parganas are not belied.

श्री दीपनारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम है कि दामोदर

भैली कारपोरेशन की स्कीम एक बहुत बड़ी स्कीम है और समूचे हिन्दुस्तान में यह अनोखी स्कीम बन गयी है। इस स्कीम में अनेक काम थे। इसी लिए इस स्कीम को मल्टीपरपस स्कीम के नाम से पुकारा गया। इसका मुख्य काम था वाढ़-नियंत्रण। पश्चिम बंगाल के हिस्से की वाढ़ से बहुत तकलीफ होती थी। जब-जब भयानक वाढ़ आती थी तब-तब लोगों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। उस तकलीफ से लोगों को मुक्त कराने के लिए यह स्कीम सोची गयी। साथ ही साथ बिजली पैदा करने की बात सोची गयी और दामोदर भैली के हल्के में सब तरह की उन्नति करने का विचार किया गया। इन तीन चीजों को लेकर स्कीम का निर्माण किया गया। इस स्कीम को सन् १९४६ में लिया गया था। आज बजट को देखने से मालूम होता है कि अबतक १०३ करोड़ रुपये इसपर खर्च हो चुके और १९५७-५८ में खर्च होगा लगभग १७ करोड़ रुपये खर्च करके इस स्कीम को चलाया गया है। जो बजट को देखने से साफ मालूम होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि वाढ़-नियंत्रण के उद्देश्य में कारपोरेशन को काफी सफलता मिली है। वाढ़ का नामोनिशान वेस्ट बंगाल से मिट गया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और इस तरह का काम हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए, और है।

इसका एक दूसरा काम था बिजली पैदा करना। बिजली पैदा करने का काम हो रहा है। जिस तरह का हिसाब मेरे सामने है अगर पूर्ण रूप से बिजली का काम चालू हो जाय तो दामोदर भैली कारपोरेशन से ५५६ मेगावाट बिजली का अभी १७४ मेगावाट बिजली पैदा होती है। जितनी बिजली पैदा होती है उसमें से हमारे बिहार में लगभग ७७ मेगावाट बिजली खर्च होती है। यह कहा गया है कि दस हजार किलोवाट बिजली बिहार में खर्च होती है। यह बात सही नहीं है। कि दामोदर भैली से जितनी बिजली पैदा होती है उससे आधा से थोड़ा ही कम बिजली बिहार में खर्च होती है और इससे मालूम होता है कि दामोदर भैली कारपोरेशन बिहार की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। हाँ, उसको और भी बिजली पैदा करने की ताकत बढ़ानी होगी।

यह बात सही है कि हमने इधर दामोदर भैली कारपोरेशन से बिजली मांगा तो उस वक्त बिजली तैयार नहीं थी इसलिए हमारी मांग के मुताबिक बिजली देने से वह लाचार हो गया अब उसने वादा किया है कि वह हमारी मांग को पूरा करने की कोशिश करेगा।

सिचाई का भी एक काम इस कारपोरेशन से होने वाला था और वह एक बहुत छोटा काम माना गया था।

डी० भी० सी० जिस हल्के में है उसमें सिचाई का काम सरल नहीं है। सिचाई के काम में कठिनाई होनेवाली है। डी० भी० सी० के पास जितने पानी हैं उस पानी से सिचाई का काम आसानी से नहीं लिया जा सकता है। तौभी सिचाई का कुछ प्रबंध किया गया है। एक स्कीम तिलैया डैम से सिचाई के लिये तैयार हो चुकी है। इस स्कीम के द्वारा साढ़े पन्द्रह हजार एकड़ जमीन की सिचाई होगी। यह स्कीम बन चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन के पास टेक्निकल एक्जामिनेशन के लिये भेज दिया गया है। इस स्कीम को इंजीनियरों ने आम तौर से पसन्द कर लिया है। जैसे ही यह स्कीम सेंटर से वापस आयगी इसमें काम लग जायगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महुया—कितने लाख की यह स्कीम है ?

श्री दीप नारायण सिंह—इसमें लगभग ३५ लाख रुपये खर्च होनेवाले हैं। एक

और छोटी-सी स्कीम है जिससे पांच सौ एकड़ जमीन की सिचाई होगी। इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। इसका भी एस्टिमेंट तैयार हो गया है। इसके अलावे एक और दूसरी स्कीम की ओर सरकार का ध्यान गया है। इस स्कीम के संबंध में जांच-पड़ताल हो रही है। अगर कहीं सफलता मिली तो इस स्कीम से लगभग १४ हजार एकड़ जमीन की पट्टाई होगी। ये तीनों स्कीम तिलैया डैम से संबंध रखती हैं। इस बात को मैं मानता हूँ कि सिचाई में कुछ अधिक रुपये बिहार सरकार के खर्च हो गये हैं और सिचाई का काम भी व्यावहारिक रूप से नहीं हो सका है। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि बड़ी सावधानी से मैं इस बात को देखूंगा कि सिचाई के संबंध में जितने रुपये बिहार सरकार के डी० भी० सी० पर खर्च हुए हैं, उसमें उतना ही रुपया खर्च किया जाय जिसमें हकीकत में बिहार को लाभ होने वाला है। अगर बिहार को लाभ होनेवाला नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि सब रुपये लौटा लें। किस मद में कितने रुपये दिये हैं इसके लिए एक सब कमिटी बनाई गई है। यह कमिटी सिचाई के सम्बन्ध में कितने रुपये खर्च हुए हैं उस पर विचार करेगी और जितनी रकम जिस सरकार को वाजिबन देनी चाहिये उतनी ही रकम उस सरकार के खाते में डाल देगी। इसमें माननीय सदस्यों को किसी तरह का सन्देह नहीं होना चाहिये। मैं ठीक जैसा हमारे दोस्त ने कहा कि एकवाच डींग के जैसा आपको देखना चाहिये मैं देखूंगा बिल्कुल एक बाच् बल डींग के जैसा कामों को देखूंगा कि हमारा एक पैसा भी बर्बाद न हो और न मैं बर्बाद होने दूंगा। जहांतक विकास का संबंध है उस हल्के में मैं इस बात को अफसोस के साथ कहता हूँ कि अभीतक काफी काम नहीं हो सका है। जो कुछ भी काम हुआ है वह काम अभी देखाइ नहीं मालूम होता है। डी० भी० सी० ने कई विकास के काम को अपने हाथ में लिया है जैसे लैंक मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री, सेंट्रल फीनीशिंग वर्कशॉप और कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री ये सारे काम चल रहे हैं। इसके अलावे एफीरेस्टेशन, स्वाथल कंजरभेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऐंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम वगैरह डी० भी० सी० ने अपने हाथ में ले लिया है।

Shri RAMESHWAR PRASAD MAHATHA : How many persons are engaged in these Industries.

श्री दीपनारायण सिंह—मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे सकता हूँ ; क्योंकि मेरे

पास अभी आंकड़े इसके नहीं हैं । माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि हजारीबाग जिले में करगरना के पास एक बहुत बड़ा रकबा डी० भी० सी० ने लिया है और उसमें स्वायल कंजरवेशन का काम चलाया जा रहा है । इन कर्मों का फल तुरंत मिलनेवाला नहीं है । ये सब लॉग टर्म स्कीम माने जाते हैं ।

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रीहैविलिटेशन की ओर ले जाना चाहता हूँ । इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही गयी हैं । यह बात सही है कि इस स्कीम के कारण बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, उनकी जमीन गई । यह बात भी बिल्कुल सही है उन्हें अपने घरों को छोड़ने में, अपने जमीनों को छोड़ने में, अपने हुई । लेकिन इसके लिये तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं था उन्हें तो अपने घर को छोड़ना ही था, अपनी जमीन को छोड़ना ही था और अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों को को मिली है बाढ़-नियंत्रण के रूप में वह मदद नहीं मिलती । लेकिन लोगों को उसके मुताबिक लगभग ७५ हजार लोगों को अपना घर-द्वार छोड़ना पड़ा, पांच हजार आंकड़ों में पंचट डैम भी लिखे गये हैं लेकिन अभी वह बना नहीं है । जिन लोगों को घर तथा जमीन छोड़ने पड़े हैं उनमें से काफी लोगों को मुआवजा के रुपये भी बाजिव था कि मैं सही-सही आंकड़ा आप लोगों के सामने रख दूँ । मेरे पास डी० भी० सी० की एक किताब है अगर आप लोगों के पास भी हो तो देखेंगे ।

अध्यक्ष—क्या इसकी प्रति सभी सदस्यों को नहीं बांटी गयी है ?

श्री दीपनारायण सिंह—मुझे इसकी खबर नहीं है ।

अध्यक्ष—तो इसे सब को दे दी जाय ।

श्री दीपनारायण सिंह—जिस माननीय सदस्य के पास हैं वे ७५ पन्ने में पढ़ेंगे वह तफसील काफी लम्बी है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों को टोटल नहीं बता सकते हूँ । लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि तिलैया, कोनार और बोकारो इन दो डैमों जहाँ कहीं भी मुआवजा देने को बाकी है, या जमीन नहीं मिली है, उसका कारण और कारणों के अलावे एक यह भी है कि उन लोगों ने यह फैसला समय पर नहीं किया था कि जमीन के बदले जमीन लेंगे और घर के बदले घर लेंगे या रुपये लेंगे । यह बात सही है कि उनके रहने के लिए घर बनाया गया लेकिन वह उनको पसंद नहीं आया ।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—उन घरों को देखने से मंत्री महोदय को मालूम हो जायगा कि क्यों उनको ये घर पसंद नहीं आए।

श्री दीपनारायण सिंह—हां, मुझको उन घरों को देखने का मौका मिला है।

जब मैंने पशु पालन विभाग को अपने हाथ में लिया था तो उनमें से काफी घरों को जानवरों के रहने के लिए खरीदा।

एक सदस्य—वे जानवरों के रहने के लायक भी नहीं हैं।

श्री दीपनारायण सिंह—आदमी का घर जानवर के रहने लायक नहीं होगा यह

बात सही है। अब उन घरों को मैंने बाबू जगत नारायण लाल के हवाले कर दिया है। एक बात सही है कि इंजीनियरों ने उन घरों को काफी आरामदेह अपने हिसाब से बनाया लेकिन जब किसी के लिए और कोई घर बनाता है तो घर जिसके लिए बनाया जाता है उसको जल्दी पसंद नहीं आता; क्योंकि बनानेवाला को हो सकता है कि उसके शारीरिक और मानसिक आराम का अंदाजा नहीं रहता है। जब हम उस एलाके में उन घरों को देखने गए और हमारे साथ उन लोगों में से भी कुछ लोग थे तो वहां के लोगों ने कहा कि वे उन घरों में आराम से नहीं रह सकते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि हम इनको छोड़कर चले जायेंगे। खराब घर जंगल में बनाकर उसमें उनको और आराम मिला। इन्हीं कारणों से घर नहीं बना और कुछ लोगों का मुआवजा भी बाकी रह गया। मैं सब तफसील देखकर कोशिश करूंगा कि किसानों को मुआवजे का रुपया जल्द से जल्द मिल जाय। मुझे उम्मीद है कि मैं इस काम को शीघ्र कर दूंगा। दामोदर भैली कारपोरेशन ने इसकी कोशिश की कि लोगों को कम्युनल फैसिलीटीज भी दी जाय और दामोदर भैली कारपोरेशन ने ६४ तालाब, १४ कुआ, कम्युनल सेंट्स और टैम्पुल ११ और स्कूल १५ बनाये और खोले हैं। जहां तहां घरों के पास ८,५०० दरख्त भी लगाये गए हैं; सड़के करीब २६,००० फीट बनाई हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—जो चीजें उनके गावों में थीं उतनी ये भी हैं ?

श्री दीप नारायण सिंह—मेरे पास इसकी तफसील नहीं है। मेरे कहने का अर्थ

यह है कि दामोदर भैली कारपोरेशन ने कोशिश की कि लोगों को आराम पहुंचावे। माननीय सदस्यों ने जैसा कहा उससे मालूम होता है कि वहां के लोगों को काफी आराम नहीं पहुंचा है। मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि ८, ९ साल में इतना बड़ा काम देश का हुआ है और इतने बड़े रकबे का जब विकास करना है और वह काम रास्ते पर चला है तो इसको मैं नहीं मानता हूं कि काम कुछ हुआ नहीं।

श्री उमेश्वर प्रसाद—कितने डिस्पलेस्ड पर्सन्स डी० भी० सी० में इम्प्लायड

हैं, या कितने विहार के रहने वाले उसमें काम करते हैं और क्या उनकी कैटेगरी है ?

श्री दीपनारायण सिंह—मुझको अप्सोस है कि मेरे पास इसका आंकड़ा नहीं है

लेकिन एक फिहरिस्त मेरे पास है जो १९५५ के ३१ मार्च को बनाई गई थी। बिहार के २७ फी सदी लोग उसमें काम करते हैं। कैंटेगरी भी मैं बता दूंगा। बंगाल के ६२ फी सदी, बिहार के २७ फी सदी और दूसरी जगहों के ११ फी सदी वहां काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष—यह फिहरिस्त तो आउट ऑफ डेट हो गई।

श्री दीपनारायण सिंह—इसीलिए मैंने कहा कि अभी तत्काल मेरे पास यह लिस्ट नहीं है।

श्री उमेश्वर प्रसाद—डिस्पलेस्ट पर्सन के बारे में क्या पोजीशन है?

अध्यक्ष—वे भी उसी के अन्दर है।

श्री दीपनारायण सिंह—मैं नहीं कह सकता कि वे भी इम्प्लायड हैं या नहीं।

मेरे पास यह आंकड़ा अभी नहीं है।

वहां के चीफ इंजीनियर के बारे में जो बात कही गई उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। वे विदेश के हैं और अब रहना नहीं चाहते जबतक कि गवर्नमेंट उनकी शर्तें नहीं मान ले। भारत सरकार ने देखा कि जब हमारा काम खत्म होनेवाला है और जिस अवधि में काम खत्म होनेवाला था उस अवधि से काम भंगे बढ़ा तो भारत सरकार ने तय किया कि चीफ इंजीनियर को नहीं छोड़ा जाय इसलिए कुछ अधिक वेतन देना पड़ा। यह बात नहीं है कि भारत सरकार रुपया को बरबाद करना चाहती है।

मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर आप लोगों का सहयोग मुझको रहा तो उस इलाके में विकास के काम में बिहार सरकार कोताही नहीं करेगी।

श्री उमेश्वर प्रसाद—डैम के किनारे लिफ्ट इरिगेशन का राइट आपको है और

रिजर्वड्योर से फिशरी की राइट किसको है?

अध्यक्ष—शांति, शांति। अब यह विवाद समाप्त हुआ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित वनजाति आयुक्त के १९५५ के प्रतिवेदन पर वादविवाद।

DISCUSSION ON THE REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR 1955.

Shri JAGAT NARAIN LAL : Sir, I beg to move :

That the House do proceed to discuss the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1955.

अध्यक्ष—अब समा कल के लिए ११ बजे तक स्थगित रहेगी।

समा शुक्रवार, तिथि १३ दिसम्बर १९५७ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना :

तिथि १२ दिसम्बर १९५७।

बि०स०मु० (एल०ए०) (ए) ३२७—मोनो—८७०+१—१-७-१९५८—यो० मिश्र

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान सभा।